Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर करने के आरोपी बादल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त बादल पुत्र बबलू उर्फ रमेश निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2020 में पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0- 273/2020 धारा 307/468 भादवि व मु0अ0सं0 274/2020 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुए थे। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 16.06.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-01 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त बादल को दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है

श्री राजीव कुमार
एडीजीसी

का0 हरदीप
कोर्ट पैरोकार

विवेचक- उपनिरीक्षक श्री सूरज भान

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली **दिनाँक 16.06.2025**

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 157/25 धारा 191(2)/115(2)/352/351(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.06.25 को थाना छपरौली पर वादी कालू पुत्र मंगता कुरेशी निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.माठी पुत्र कृष्णकान्त, 2.अंकित खोखर पुत्र राजसिंह, 3.कुंदन पुत्र पवन निवासी पट्टी धंधान छपरौली, 4.टुल्ली व 5.आर्यन पुत्र सत्तू निवासी पटटी धंधान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत के द्वारा वादी व आवेश व दिलशाद के साथ गाली-गलौच करते हुए तमंचे से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु.अ.स. 157/25 धारा 191(2),115(2),352,351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 157/25 धारा 191(2)/115(2)/352/351(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त माठी को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- माठी पुत्र कृष्णकान्त निवासी पटटी धंधान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 श्री गवेन्द्र पाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत

2-उ.नि. श्री अमित कुमार गोला थाना छपरौली जनपद बागपत

3. का.227 अनिल कुमार डागुर थाना छपरौली जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट **दिनाँक 16.06.2025**

थाना दोघट पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक आयशर केन्टर जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 28 पशु (21 मृत, 07 जीवित) बरामद।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाहीः-

दिनांक 15.06.2025 को वादी श्री वरूण शर्मा पुत्र मधुसुधन निवासी ग्राम इदरीशपुर थाना दोघट जनपद बागपत व जनता के व्यक्तियों के द्वारा अवैध व क्रूरता पूर्वक भरकर ले जाये जा रहे पशुओं के एक ट्रक को पकडकर थाना दोघट पर सूचना दी गई, प्राप्त सूचना पर थाना दोघट पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक आयशर केन्टर नम्बर UP 37 BT 4272 जिसमें क्रूरता पूर्वक भरे हुए कुल 28 पशु (21 मृत व 07 जीवित) बरामद हुए है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 154/2025 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1.आदिल पुत्र बाबू निवासी कोटला मेवातियान थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड ।

2.शान पुत्र इकराम निवासी कोटला मेवातियान थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड ।

बरामदगी का विवरणः-

- **एक आयशर केन्टर न0 UP 37 BT 4272 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए कुल 28 पशु (भैंस), जिसमें 21 पशु मृत, 07 पशु जीवित ।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 मोहित कुमार थाना दोघट जनपद बागपत

2.है0का0 464 सुधीर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत

3. का0 951 पिताम्बर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 16.06.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 376/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए अन्तर्राज्यीन चोर गिरोह के 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध चाकू व चोरी की हुई 03 मोटरसाईकिल, 02 मोबाईल फोन बरामद।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 04.06.2025 को थाना बडौत पर वादी श्री कुलदीप कुमार पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम हैवा थाना छपरौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों ने उसकी मोटरसाईकिल स्प्लेन्ड़र नम्बर UP17S5483 को चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 376/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 376/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए अन्तर्राज्यीय चोर गिरोह के 04 अभियुक्तों/चोरो को गिरफ्तार

किया गया है, जिनके कब्जे से 02 अवैध चाकू व चोरी की हुई 03 मोटरसाईकिल तथा 02 मोबाईल फोन बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-विक्रान्त पुत्र राजपाल निवासी ग्राम बडौली थाना बडौत जनपद बागपत ।
2- आकाश पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम बडौली थाना बडौत जनपद बागपत।
3-आकाश पुत्र ब्रहम सिंह निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत।
4-अंकित पुत्र इन्द्रपाल निवासी रमाला थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोटरसाईकिल स्प्लेन्ड़र नम्बर DL 5SBN 2692
- 01 मोटरसाईकिल स्प्लेन्ड़र नम्बर DL 5 SCS 4032 (सम्बन्धित मु0अ0स0 015846 थाना गोकुलपुरी दिल्ली)
- 01 मोटरसाईकिल टीवीएस स्पोर्ट नम्बर UP17S5483 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 376/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत)
- चोरी किये हुए 02 मोबाईल फोन।
- 02 अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
2- उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
3- है0का0 316 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
4- है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
5-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
6- का0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।
7- का0 421 अंकुल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
8- का0 1058 शरद यादव थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना महिला थाना बागपत दिनाँक 16.06.2025

थाना महिला थाना बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना महिला थाना बागपत द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

रिजवान पुत्र युनुस निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री राजेश कुमार महिला थाना बागपत

2- है0का0 227 शैलेष कुमार महिला थाना बागपत ।

3 – महिला होमगार्ड मंजू महिला थाना बागपत।